(151)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 4108–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 27–10–2016 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद, प्रकरण कमांक 132/अपील/2015–16.

.....

1–पलकराम आ0 दत्तक पिता बालारा
2–दीपक वल्द पलकराम
दोनों निवासी ग्राम खमलाह तहसील खिरकिया
जिला हरदा

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1–श्रीमती प्रेमबाई पत्नि रामेश्वर बिश्नोई
2–श्रीमती पारो बाई उर्फ पार्वतीबाई पत्नि रामाधार बिश्नोई
दोनों निवासी ग्राम खमलाह तहसील खिरकिया
जिला हरदा

.....अनावेदकगण

श्री एस0एस0पटेल, अभिभाषक– आवेदकगण
अनावेदकगण स्वयं उपस्थित ।

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 28/9/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–10–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि भूमि बालाराम द्वारा तहसीलदार के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम बडनगर स्थित भूमि सर्वे नम्बर 64/2, 65/2, 66/2, 64/4 एवं 65/4 कुल रकबा 10.76 हेक्टेयर भूमि उसके स्वत्व, स्वामित्व की भूमि है और उसके द्वारा आवेदक कमांक 1 को गोद लिया गया है अतः प्रश्नाधीन भूमि पर उसके स्थान पर अनावेदक कमांक 1 का नाम दर्ज किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 24–5–14 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक कमांक 1 का नाम दर्ज किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 18–11–2015 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त कर स्व0बालाराम के सभी वारिसों के नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 27–10–2016 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखते हुये अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण दिनांक 28–6–17 को उभयपक्ष की ओर से समझौता पत्र प्रस्तुत किया गया । अतः प्रकरण का निराकरण निगरानीमेमों में उल्लिखित आधारों पर विचार कर किया जा रहा है । आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा संहिता की धारा 178 के प्रावधानों को समझने में भूल की गई है क्योंकि भूमिस्वामी द्वारा तहसील न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है जिस पर अनावेदकगण द्वारा सहमति दी गई है, अतः तहसील न्यायालय द्वारा सहमति के आधार पर आदेश पारित किया गया है।

(2) वर्ष 2004–05 में बालाराम जीवित था और उनके द्वारा ही प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक कमांक 1 का नाम दर्ज कराया गया था, ऐसी स्थिति में अनावेदकगण

की सहमति अथवा सहमति लेने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है क्योंकि भूमिस्वामी अपने जीवनकाल में अपनी भूमि को विक्रय कर सकता है, दान कर सकता है, खुर्दबुर्द भी कर सकता है ।

(3) अनावेदकगण को अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं था क्योंकि वह तहसील न्यायालय में पक्षकार नहीं थे इसलिये अपील प्रस्तुत करने हेतु अनुमति लेनी चाहिये थी ।

(4) मृतक भूमिस्वामी बालाराम की मृत्यु वर्ष 2010 में हुई है और वर्ष 2010 में बालाराम के नाम कोंई संपत्ति नहीं थी ऐसी स्थिति में उसने अपने जीवन काल में जब संपत्ति आवेदक के नाम कर चुका है और मृत्यु के समय कोई संपत्ति बालाराम की थी ही नही तो अनावेदकगण के नाम प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक के नाम के साथ विधिक अनुसार सम्मिलित किये जाने का कोई वैधानिक अधिकार ही नहीं है क्योंकि मृत्यु पश्चात् छोडी गई संपत्ति पर ही उसके वारिसानों का नाम दर्ज किया जा सकता है ।

(5) मृतक भूमिस्वामी अपने जीवनकाल में अनावेदकगण को जो कि उनकी पुत्रियों को बहुत कुछ दे चुका था । इस तथ्य को अनावेदकगण द्वारा स्वीकार भी किया गया है ।

4/ निगरानी मेमों में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । उभयपक्ष की ओर से इस न्यायालय में राजीनामा पत्र प्रस्तुत किया गया है । राजीनामा पत्र संपत्ति अन्तरण के लिये दस्तावेज नहीं हो सकता है । अतः समझौते के आधार पर आदेश पारित किया जाना वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है । अभिलेख से स्पष्ट है कि उभयपक्ष के मध्य व्यवहार वाद प्रचलित है । अतः उभयपक्ष को चाहिये कि वे व्यवहार न्यायालय में राजीनामा पत्र प्रस्तुत करें । जहॉ तक प्रकरण के गुणदोष का प्रश्न है । यह निर्विवादित है कि अनावेदिकागण मृतक भूमिस्वामी की पुत्रियॉ होकर प्रश्नाधीन भूमि में अपना स्वत्व रखती है । ऐसी स्थिति में प्रश्नाधीन भूमि पर राजस्व अभिलेखों में उनका नाम भी दर्ज किया जाना था, परन्तु ऐसा नहीं करने में तहसीलदार द्वारा अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही

की गई है, इसलिये तहसीलदार का आदेश निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है । अतः दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष तथ्यों पर आधारित है जिनमें फेरफार इस निगरानी में नहीं किया जा सकता है । दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 27–10–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर